

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(21)एम.ई./गुप-1/2015

जयपुर, दिनांक:


23 MAY 2019

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2019 के द्वारा कार्डियो वस्कूलर एण्ड थोरसिक सर्जरी विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार कार्डियो वस्कूलर एण्ड थोरसिक सर्जरी में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है :-


वरिष्ठ आचार्य/आचार्य					
क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० आर.एम. माथुर	सामान्य	25.09.1957	2011-12	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2011
2.	डॉ० अनिल शर्मा	सामान्य	01.09.1961	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
3.	डॉ० विजय नैथानी	सामान्य	04.08.1963	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
4.	डॉ० राजकुमार यादव	अपिजा	01.01.1960	2018-19	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2018
5.	डॉ० संजीव देवगढ़ा	सामान्य	15.09.1969	2018-19	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2018

सहायक आचार्य				
क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि
1.	डॉ० रामगोपाल यादव	अपिजा	05.02.1964	24.09.2012
2.	डॉ० अनुला सिसोदिया	सामान्य	18.09.1962	16.11.2012
3.	डॉ० सुभाष बलारा	सामान्य	18.05.1979	09.11.2012
4.	डॉ० सुनील दीक्षित	सामान्य	28.04.1978	05.01.2013
5.	डॉ० हेमलता वर्मा	अजा	18.12.1978	05.12.2012
6.	डॉ० सर्वेश शर्मा	सामान्य	30.11.1976	14.08.2017 (नियुक्ति तिथि)
7.	डॉ० ध्रुव शर्मा	सामान्य	10.09.1981	14.08.2017 (नियुक्ति तिथि)
8.	डॉ० अभिनव सिंह	सामान्य	25.03.1979	14.08.2017 (नियुक्ति तिथि)
9.	डॉ० कृष्ण कुमार मावर	अजा	24.09.1970	14.08.2017 (नियुक्ति तिथि)
10.	डॉ० रामस्वरूप सैन	अपिव	22.07.1968	14.08.2017 (नियुक्ति तिथि)
11.	डॉ० राजेश कुमार शर्मा	सामान्य	30.06.1968	14.08.2017 (नियुक्ति तिथि)

आज्ञा से

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज।
4. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


(जी.आर.रावल)
शासन सहायक सचिव